

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:-प.12(2)आ.एवं क./बैण्ड फण्ड/50%राशि स्था./2015/ 443 दिनांक-24-1-2017

1. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर/ मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर।
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
3. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी बटालियन, राजस्थान।
4. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग, राजस्थान।

विषय:- पुलिस बैण्ड किराये पर लेने पर बैण्ड दर में छूट प्रदान करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान पुलिस बैण्ड नियम 8 के अन्तर्गत पुलिस विभाग के कार्यरत कर्मचारी स्वयं की अथवा उनके बच्चों की शादी हेतु एवं सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारियों के बच्चों की शादी हेतु बैण्ड किराये पर लेने पर किराया, राजस्थान पुलिस बैण्ड नियम 7 में उल्लेखित दरों की आधी दर से वसूल किए जाने का प्रावधान है। इन नियमों में पुलिस विभाग के कर्मचारी से आशय विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी से है। अतः नियमानुसार कार्यवाही करें।

भवदीय,

4/

(राजेन्द्र कुमार)  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
आयोजना एवं कल्याण,  
राजस्थान, जयपुर।